# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
# जिला चित्तौडगढ

**पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या/10/2020 प्रार्थना पत्र                    दायर दिनांक 15.12.2020

**उनवान**

1. कालूलाल पिता धन्ना गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी केसरखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
2. हजारी पिता धन्ना गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी केसरखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।

——प्रार्थीगण

**बनाम**

1. कमला शंकर पिता भगवानलाल गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी केसरखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
2. नानी बाई पत्नि भगवानलाल गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी केसरखेडी, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री रतनलाल टांक —प्रार्थीगण
एकतरफा —अप्रार्थीगण

—ः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) ः—

निर्णय दिनांकः 22.07.2022

**—ःनिर्णयः—**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण राजस्व ग्राम केसरखेडी, तहसील कपासन के स्थायी निवासी होकर पेशे से काश्तकार है जिनकी कृषि भूमियां ग्राम केसरखेडी में ही होकर एक दुसरे से लगी हुई है। यह कि ग्राम केसरखेडी में संवत 2074 से 2077 की जमाबंदी में अंकित खाता संख्या 280 पर दर्ज आराजी नम्बर 100 रकबा 0.37 हैक्टर, आ.नं. 1136 रकबा 0.10 हैक्टर, आ.नं. 1137 रकबा 0.40 है0, आ.नं. 1191 रकबा 0.66 हैक्टर, आ.नं. 1192 रकबा 0.27 हक्टर, आ.नं. 1194 रकबा 0.06 हैक्टर, आ.नं. 1195 रकबा 0.23 हैक्टर, आ. नं. 1196 रकबा 0.09 हैक्टर, 821 रकबा 0.05 हैक्टर, आ. नं. 94 रकबा 0.95 हैक्टर, आ.नं. 95 रकबा 1.06 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 4.24 हैक्टर प्रार्थीगण के एवं उनके भाई सवाईराम पिता धन्ना गाडरी के खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थीगण की आराजीयात के पास ही आ.नं. 101 रकबा 0.67 हेक्टर विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर संवत 2074 से 2077 की जमाबंदी के खाता संख्या 15 पर अन्य आराजीयात के साथ दर्ज रेकार्ड है जिस पर विपक्षीगण काबिज है। आराजी नम्बर 101 के दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 100 पर आने जाने हेतु कदीमी रास्ता स्थित है जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर आते—जाते है तथा यही रास्ता प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंचने, कृषि उपज लाने ले जाने, हकाई जुताई के लिए ट्रेक्टर, बेलगाडी लाने ले जाने के काम में चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण [illegible] अपनी कृषि आराजीयात पर पहुंचने का और कोई वैकल्पिक मार्ग स्थित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:31 IST
Reason: Self Attested

यह कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 100 विक्रेता के परिवार के सदस्य अन्य खातेदार भीमा पिता भैरा गाडरी से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.07.1999 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया तभी से प्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर पहुंचने के लिए उक्त मार्ग का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करते चले आ रहे है जिसे काफी समय हो चुका है। तब से प्रार्थीगण के अपनी आराजीयात पर पहुंचने का यही एक मात्र मार्ग है।

यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण ग्राम केसरखेडी से भटटो का बामनिया वाले मुख्य मार्ग से होते हुए आराजी नम्बर 105, 106, 107 के दक्षिणी किनारे पर होते हुए आराजी नम्बर 108 एवं 109 से दक्षिण से उत्तर की तरफ होते हुए आराजी नम्बर 101 पर प्रवेश करते है। वहां से पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रार्थीगण के आवागमन का मार्ग स्थित है जो 12 फीट चौडा होकर कदीम से चला आ रहा है। विपक्षीगण भी प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 107 में स्थित मार्ग से होकर अपनी आराजी नम्बर 101 पर आते जाते है लेकिन विपक्षीगण की नियत में फितूर आ जाने से वे प्रार्थीगण को उनकी आराजी नम्बर 100 एवं अन्य आराजीयात पर नहीं आने जाने दे रहे है जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात पर बो रखी फसल की उचित देखभाल अर्थात पिलाई, रखवाली, एवं अन्य रख रखाव नहीं कर पा रहे है इसलिए आराजी नम्बर 101 के दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व की तरफ 12 फीट चौडा जो कदीमी रास्ता मौके पर विद्यमान है उसका नियमानुसार डीएलसी दर निर्धारित मुआवजा राशि प्रार्थीगण से लेकर रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक हो जाने से यह प्रार्थना पत्र बाबत 251ए रास्ता कायमी का श्रीमान् के समक्ष पेश है। यह कि प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते के काम में आने वाली कृषि भूमि का न्यायालय आदेशानुसार डीएलसी दर से राशि का भुगतान करने या रास्ते के काम में आने वाली कृषि भूमि के बजाय उतना ही रकबा प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में से विपक्षीगण को देने के लिए तैयार है इस बाबत 10.11.2020 को प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य रास्ते के संबंध में उपजे विवाद के लिए समझाईश होकर रास्ता देना तय कर दिया गया था तथा विपक्षीगण द्वारा 10,000/—रू अक्षरे दस हजार रू. भी प्रार्थीगण से विपक्षीगण ने प्राप्त कर लिए थे इसके बाद विपक्षीगण की नियत मे फितुर आ जाने से उन्होने प्राप्त की गई अग्रिम राशि लौटाते हुए दिनांक 15.11.2020 को रास्ता देने से मना कर दिया एवं जो रास्ता था उसमें आने जाने से रोक दिया जिससे वाद कारण पैदा होकर हर दिन जारी है। यह कि रास्ते का विवादित स्थान व पक्षकारान श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने से आवेदन पत्र समायत अख्तियार अदालत हाजा होने से श्रीमान् के न्यायालय में पेश है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को विपक्षीगण की आराजी नम्बर 101 के दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व की तरफ 12 फीट चौडा रास्ते का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। मुआवजा राशि प्रार्थीगण न्यायालय आदेशानुसार अदा करने को तैयार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। व बिन्दुवार मौका रिपोर्ट बाबत् तहसीलदार कपासन को मौका कमिश्नर नियुक्त किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से आज दिनांक 22.07.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से पास की आराजी में न्यूनतम दूरी का रास्ता कायम करा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में उचित निर्णय हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार रिपोर्ट प्रकार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:31 IST
Reason: SelfAttested

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी खेती आसामियात जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस [redacted] नकल जमांबदी)

प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी आ0न0 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आराजी नं0 101 से रास्ता चाहा गया है। जो निकटतम है। तथा भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होगा।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   अप्रार्थीगण ने असहमति व्यक्त की है।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   सहमति बनाने का प्रयास किया लेकिन दोनो पक्षों में सहमति नहीं बनी।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   प्रस्तावित रास्ता आ0नं0 101 में से लम्बाई 60 मी0 × चौडाई 4 मी0 = 240 वर्ग मीटर है।

   जिसकी डीएलसी दर 4039875 × 0.0240 = 96958 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 193915/– रूपये बनते है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 100 रकबा 0.37 हैक्टर, आ.नं. 1136 रकबा 0.10 हैक्टर, आ.नं. 1137 रकबा 0.40 है0, आ.नं. 1191 रकबा 0.66 हैक्टर, आ.नं. 1192 रकबा 0.27 हक्टर, आ.नं. 1194 रकबा 0.06 हैक्टर, आ.नं. 1195 रकबा 0.23 हैक्टर, आ.नं. 1196 रकबा 0.09 हैक्टर, 821 रकबा 0.05 हैक्टर, आ. नं. 94 रकबा 0.95 हैक्टर, आ.नं. 95 रकबा 1.06 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 4.24 हैक्टर स्थित है प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 101 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में आराजी संख्या 101 किस्म बारानी 1 दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:31 IST
Reason: Self Attested

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## –:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर निर्णय दिया जाता है कि मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 100, 1136, 1137, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 821, 94, 95 रकबा 1.06 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 4.24 हैक्टर स्थित है में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आ.न. 101 है। जिसका रकबा 60 × 4 = 240 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 05.03.2021 का राजस्व नक्शा ट्रेस संलग्न है के अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 240 वर्गमीटर की डीएलसी दर 4039875 × 0.0240 = 96958 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 193915/– रूपये अक्षरे एक लाख तिरानवे हजार नौ सौ पन्द्रह रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को [illegible]

निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को [illegible] खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:31 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official